

29-6-21 पत्रावली पेश हुई, अभिमापकनन द्वारा  
न्यायिक कार्य स्थान/बहिष्कार रखने  
से पत्रावली दिनांक 30/7 की पेश छे।

12-11-21 पत्रावली प्रशासन गाँवों के लोग अभियान  
कैम्प ग्राम सुरास मे पेश हुई, अप्राथमिक  
के सम्मन बाद तामिल छेफर प्राप्त हुए  
एव तृष्णीलकार मोडल प्यार हल्का प्यार  
द्वारा काँका विपदि प्राप्त हुई जिसे शायक  
फिषा गया। प्राथमिक का प्रार्थना पत्रावली  
क्रिया जाकर निर्णय प्रथक से विरक जाकर  
शायक फिषा गया। पत्रावली के सब प्रकार  
होइर नम्बर से कम छे।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 227/20 प्रा-पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

1- श्रीमती अलोक 40 देवी धौवी निवासी - सुरास तहसील (गैर)

बनाम

--प्राथी

श्री शंकर 510 गांगु धौवी निवासी - सुरास तहसील - मांडल (गैर)

(एकसंकीर्ण विपक्षीयण का सिलेस)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 12-11-21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा.ज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर आवेदन किया कि ग्राम..... सुरास ..... पटवार हल्का..... सुरास ..... तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं..... 922, 923, 924, 925 ..... कुल किता ..... 06 रकबा..... 1.4670 हेक्टेयर..... स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी पतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्राथी अपने खाते संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 18.12.20 ..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रबलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... सुरास ..... पटवार हल्का..... सुरास ..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं..... 922, 923, 924, 925, 926, 929 ..... कुल किता ..... 0.6 ..... रकबा..... 1.4670 हेक्टेयर ..... भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... मिश्रा ..... को ..... 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा करने पर पिछमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी

डॉ. पूजा सक्सेना

मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

28/11